भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2698

उत्तर देने की तारीख-09/03/2026

मूल विद्यालय के नाम पर शाखा खोलना

†2698. श्री सौमेंदु अधिकारी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को अधिसूचित किया है, यदि हां, तो क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आईसीएसई (सीआईएससीई) और राज्य बोर्डों ने शिक्षा नीति प्रणाली में नई और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) 2023 को लागू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की रूपरेखा के अंतर्गत अब इन संस्थानों के मुख्य विद्यालय जैसे ही शाखा विद्यालय खोलने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आईसीएसई (सीआईएससीई) और राज्य बोर्डों से संबद्ध विद्यालयों के लिए क्या विशिष्ट दिशानिर्देश हैं और क्या शाखा विद्यालय स्थापित करने के आदेश की प्रतियां उपलब्ध हैं;

(घ) क्या कोई मुख्य विद्यालय देश में कहीं भी फ्रेंचाइजी के मानदंडों के तहत शाखा विद्यालय खोल सकता है, यदि हां, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, आईसीएसई (सीआईएससीई) और राज्य बोर्डों के किसी भी बोर्ड से संबद्ध मुख्य विद्यालय के नाम पर शाखा विद्यालय खोलने के लिए विशिष्ट मानदंडों, विनियमों और सीमाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत सरकार को प्राथमिक विद्यालय के मूलभूत चरण से लेकर बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के समूहों/ज्ञान केन्द्रों में विस्तार/परिवर्तन करने की अनुमति दी गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सभी संबंधित हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के उपरांत दिनांक 29.07.2020 को शुरु किया गया था। एनईपी 2020 इसके कार्यान्वयन के लिए विभिन्न समय-सीमाएं तथा सिद्धांत और पद्धति प्रदान करती है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण, केंद्र और राज्य दोनों सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारें, शिक्षा-संबंधी मंत्रालय, स्कूल और उच्च शिक्षा के नियामक एवं कार्यान्वयन निकाय जैसे

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल आदि ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए कई पहल की हैं।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ), 2023 को क्रमिक तरीके से लागू कर रहा है। बोर्ड ने इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

➢ पाठ्यक्रम पुनर्गठन
- एनसीएफ- आधारभूत स्तर- *5*-वर्षीय आधारभूत शैक्षिक संरचना शुरू की गई।
- कक्षा *3* से *6* के लिए क्षमता-आधारित एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें।
- एनसीएफ-एसई को अपनाने के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी किए गए।

➢ मूल्यांकन संबंधी पहलें
- समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी), 360-डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड जो गुणात्मक प्रगति को मापता है।
- सफल (अधिगम विश्लेषण करने के लिए संरचित मूल्यांकन) जो मुख्य क्षमताओं में अधिगम अंतराल की पहचान करता है ताकि स्कूलों को शिक्षण गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता मिल सके।
- एसक्यूएएफ (स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और आश्वासन रुपरेखा), सभी स्कूलों को प्रत्येक वर्ष पोर्टल पर स्व-मूल्यांकन करने का निर्देश देता है।

सीआईएससीई के संबंध में, इसने सीआईएससीई से संबद्ध स्कूलों में एनईपी-2020 और एनसीएफ-2023 की सिफारिशों को लागू करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जैसा कि अनुलग्नक-I में दिए गए विवरण के अनुसार है।

एनईपी 2020 को अनेक हितधारकों को शामिल करते हुए बहु-आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। समग्र शिक्षा, पीएम श्री, उल्लास और पीएम पोषण जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाएं एफएलएन, मूल्यांकन (एचपीसी, परख), मानक निर्धारण प्राधिकरणों की स्थापना, कौशल शिक्षा, शिक्षक क्षमता निर्माण (एनपीएसटी, एनएमएम, डाइट), पोषण आदि जैसे विभिन्न घटकों के लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराती हैं।

शैक्षणिक रूप से, एनसीएफ-एसई एनईपी 2020 के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए एक परिवर्तनकारी और प्रगतिशील रुपरेखा प्रदान करता है। इस रुपरेखा के तहत कक्षा 1-8 के लिए एनसीईआरटी द्वारा नई पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं। इन्हें अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया/अनुकूलित किया गया है।

शिक्षा भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आती है,इसलिए प्रत्येक राज्य अपनी स्वयं की कार्यान्वयन प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार, राज्य बोर्डों द्वारा एनईपी 2020 और एनसीएफ-एसई के विभिन्न घटकों को अपनाने की गति भिन्न-भिन्न है।

(ख): सीबीएसई ने अधिसूचना संख्या सीबीएसई/एएफएफ./विविध/बीएस/*2025* दिनांक *22.02.2025* https://saras.cbse.gov.in/SARAS/Circulars/Circular05_2025638760794636638304.pdf

देखें) के तहत उन क्षेत्रों में स्थित स्कूलों को अनुमति दी है जहाँ शिथिल भूमि मानदंड लागू हैं, कि वे मुख्य स्कूल के समान नाम से बाल-वाटिका से कक्षा पाँच तक एकल शाखा स्कूल स्थापित कर सकते हैं।

सीआईएससीई संबद्धता नियम, 2025 (अध्याय I, नियम (सी), खंड (iv और v)) में कहा गया है कि कक्षाएँ केवल उन्हीं परिसरों में संचालित की जाएँगी जिनके लिए संबद्धता प्रदान की गई है। किसी संबद्ध स्कूल की किसी भी शाखा या इकाई को सीआईएससीई से संबद्ध नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऐसी शाखा या इकाई इन नियमों के तहत नए सिरे से आवेदन नहीं करती और सीआईएससीई द्वारा उसे अलग से संबद्धता प्रदान नहीं की जाती।

(ग): सीबीएसई ने अधिसूचना संख्या सीबीएसई/एएफएफ./विविध/बीएस/2025 दिनांक 22.02.2025 के तहत एक शाखा विद्यालय स्थापित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं (https://saras.cbse.gov.in/SARAS/Circulars/Circular05_2025638760794636638304.pdf देखें)।

बोर्ड ने संबद्धता उप-नियम (शाखा विद्यालय)– 2025 के अध्याय 2 के तहत एक शाखा विद्यालय स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों को, अन्य बातों के साथ, निर्धारित किया है:

2.1	*खंड 3.4, 3.5, 3.6 और 3.7 के अनुसार क्षेत्रों में स्थित स्कूल, जहाँ शिथिल भूमि मानदंड लागू होते हैं, उन्हें एक ही शहर के भीतर मुख्य स्कूल और एकल शाखा स्कूल रखने की अनुमति दी जा सकती है।*
2.2(क)	*मौजूदा स्कूल जो बोर्ड से संबद्ध है, उसे "मुख्य स्कूल" कहा जाता है और दूसरा स्कूल जो एक ही संबद्धता संख्या, नाम और एक ही स्कूल प्रबंधन के तहत स्थापित किया गया है, लेकिन बाल-वाटिका से कक्षा पाँच तक भौतिक और शैक्षणिक अवसंरचना, शिक्षण एवं सहायक कर्मचारियों आदि के मामले में अलग संसाधनों के साथ, उसे "शाखा स्कूल" कहा जाता है।*
2.2(ख)	*मुख्य और शाखा स्कूल दोनों का एक ही संबद्धता संख्या और मुख्य स्कूल का नाम होगा।*
2.4	*शाखा स्कूल एक ही शहर की नगरपालिका सीमाओं के भीतर स्थित होगा।*
2.5	*मुख्य और शाखा स्कूल दोनों के पास बुनियादी ढाँचे, शिक्षण कर्मचारियों और सहायक कर्मचारियों के मामले में अलग-अलग संसाधन होंगे।*
2.8	*दोनों शाखाएँ आवश्यक दस्तावेज जैसे मान्यता, यूडाइज +, भूमि प्रमाणपत्र, अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र और जल एवं स्वच्छता प्रमाणपत्र अलग-अलग रखेंगी। मुख्य स्कूल का एनओसी भी शाखा स्कूल के लिए लागू होगा।*
2.17	*शाखा विद्यालय से मुख्य विद्यालय में छात्रों का सहज संक्रमण होगा। विद्यालय इन छात्रों को मुख्य विद्यालय में नए प्रवेश के रूप में नहीं मानेगा। उन्हें प्राकृतिक प्रगति के माध्यम से कक्षा VI में प्रोन्नत छात्र माना जाएगा।*
2.18(क)	*मुख्य और शाखा विद्यालय के शिक्षण कर्मचारी अलग-अलग होंगे।*
2.18(ख)	*सुरक्षा गार्ड, लिपिक कर्मचारी, बहु-कार्य कर्मचारी आदि जैसे सहायक कर्मचारी मुख्य विद्यालय और शाखा विद्यालय के लिए अलग-अलग होंगे।*

सीआईएससीई संबद्धता नियम, 2025 को सभी संबद्ध स्कूलों और सीआईएससीई से संबद्धता चाहने वाले स्कूलों की जानकारी के लिए वेबसाइट www.cisce.org के संबद्धता खंड में सार्वजनिक डोमेन में अधिसूचित किया गया है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है। केंद्र सरकार के स्वामित्व/वित्त पोषित स्कूलों के अलावा, अन्य स्कूल संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसलिए, स्कूलों के प्रबंधन से संबंधित मामलों को संबंधित राज्य सरकार के नियमों और निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाता है। साथ ही, राज्य बोर्डों, निजी बोर्डों आदि के तहत स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की तैयारी और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(घ): जहां तक सीबीएसई का संबंध है, मुख्य स्कूल केवल एक ही शाखा स्कूल खोल सकता है जिसका नाम समान होगा और जो उसी शहर की नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित होगा।

सीआईएससीई संबद्धता नियम परिषद द्वारा प्रदत्त संबद्धता के बिना शाखा स्कूल चलाने की अनुमति नहीं देते हैं।

(ङ): एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा में मौजूदा 10+2 संरचना में 3-18 वर्ष की आयु को कवर करते हुए 5+3+3+4 के नए शैक्षणिक और पाठ्यक्रम पुनर्गठन की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना और पाठ्यक्रम रूपरेखा 5+3+3+4 डिजाइन द्वारा निर्देशित होना है, जिसमें आधारभूत चरण (3 वर्ष आंगनवाड़ी/प्रीस्कूल-विद्यालय+प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1-2 में 2 वर्ष; दोनों मिलाकर 3-8 वर्ष की आयु को कवर करते हैं), प्रारंभिक चरण (कक्षा 3-5, 8-11 वर्ष की आयु को कवर करते हैं), मध्य चरण (कक्षा 6-8, 11-14 वर्ष की आयु को कवर करते हैं), और माध्यमिक चरण (कक्षा 9-12 दो चरणों में, अर्थात पहले चरण में 9 और 10 और दूसरे चरण में 11 और 12, 14-18 वर्ष की आयु को कवर करते हैं) शामिल हैं। केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा को एनईपी 2020 के विजन के साथ पूरी तरह से संरेखित किया गया है।

*****

अनुलग्नक -I

'मूल विद्यालय के नाम पर शाखा खोलना' के संबंध में श्री सौमेंदु अधिकारी द्वारा दिनांक 09 मार्च, 2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2698 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

सीआईएससीई द्वारा एनईपी-2020 और एनसीएफ-2023 के कार्यान्वयन के लिए पहल

एनईपी 2020 की अधिसूचना के बाद से, बोर्ड ने सीआईएससीई स्कूल शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) के साथ संरेखित करने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। प्रमुख पहलों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

1. स्कूलों के लिए सलाह: सीआईएससीई ने सितंबर 2022 में सभी संबद्ध स्कूलों को 'एनईपी 2020 में कार्रवाई योग्य मदों पर सलाह' जारी की थी ताकि एनईपी 2020 के तहत परिकल्पित शैक्षणिक और पाठ्यक्रम संबंधी बदलावों की ओर चरणबद्ध संक्रमण सुनिश्चित किया जा सके।

2. मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन): 2022 में 'मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन) पर संसाधन पैक' विकसित किया गया था, और एनआईपीयूएन भारत मिशन के तहत इन मॉड्यूल्स का उपयोग करके शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

3. कौशल-आधारित शिक्षा: व्यावसायिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, सीआईएससीई ने कक्षा 6 से आगे विभिन्न स्तरों पर कौशल विषयों की शुरुआत की है, जिसमें 21वीं सदी के कौशल विकसित करने और रोजगार क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें वित्तीय साक्षरता, पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता, और नवीन प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।

4. पाठ्यक्रम संशोधन: एनसीएफ-एसई 2023 के अनुसार, सीआईएससीई ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों के पाठ्यक्रमों के संशोधन की शुरुआत की है। इसमें भाषाओं, विज्ञान और मानविकी के अद्यतन पाठ्यक्रम शामिल हैं, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और उद्यमशीलता जैसे समकालीन विषयों की शुरुआत की गई है।

5. विषयों के दो स्तर: विविध शिक्षार्थी योग्यताओं को पूरा करने के लिए, सीआईएससीई ने कुछ विषयों के दो स्तर (जैसे, अंग्रेजी और आधुनिक अंग्रेजी, गणित और अनुप्रयुक्त गणित) शुरू किए हैं, जो शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से प्रभावी होकर छात्रों को उनकी रुचियों और भविष्य के लक्ष्यों के आधार पर अधिक विकल्प प्रदान करते हैं।

6. शिक्षक क्षमता निर्माण और व्यावसायिक विकास: सीआईएससीई सभी चरणों (मूलभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक) में शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है ताकि शैक्षणिक कौशल को सुदृढ़ किया जा सके और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) में

उल्लिखित पाठ्यक्रम लक्ष्यों की गहरी समझ विकसित की जा सके। प्रशिक्षण में अधिगम परिणामों (एलओ) के प्रभावी कार्यान्वयन, योग्यता-आधारित और अनुभवात्मक शिक्षण-अधिगम पद्धतियों, बहु-विषयक दृष्टिकोणों और रचनात्मक और योग्यता-आधारित मूल्यांकन पर केंद्रित नए मूल्यांकन ढांचे को अपनाने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, सीआईएससीई ने प्रत्येक शिक्षक के लिए प्रतिवर्ष 50 घंटे का अनिवार्य सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) लागू किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आधुनिक शिक्षण विधियों और सर्वोत्तम पद्धतियों से अद्यतन रहें।

7. समावेशी शिक्षा: सीआईएससीई ने 2024 में 'सीआईएससीई परीक्षाओं में व्यापक सहायता उपायों के लिए दिशानिर्देश: विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के लिए रियायतें और लाभ' जारी किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल विविध आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए एक समान शिक्षण वातावरण प्रदान करें। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य सीआईएससीई बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए सहायता उपायों का विस्तार करके एक अधिक समावेशी शैक्षिक ढांचा बनाना है। 2025 में, सीआईएससीई ने समावेशी शिक्षा पर सीआईएससीई हैंडबुक भी जारी की, जो एक व्यापक, कार्रवाई-उन्मुख संसाधन है जिसे स्कूलों को उनके समावेशन प्रणालियों को सुदृढ़ करने और यह सुनिश्चित करने में सहायता करने के लिए तैयार किया गया है कि प्रत्येक शिक्षार्थी को सीखने और सफल होने के समान अवसर प्राप्त हों।

8. क्षमता-आधारित मूल्यांकन: रटकर सीखने की प्रणाली को कम करने और क्षमता-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा X और XII की बोर्ड परीक्षाओं में क्षमता-आधारित प्रश्नों का भार धीरे-धीरे बढ़ाया गया है। यह 2026 की परीक्षाओं के लिए 40% तक पहुंच गया है और 2027 की परीक्षाओं से आगे 50% तक बढ़ जाएगा। इनमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न और अन्य अनुप्रयोग-आधारित प्रश्नों की एक श्रृंखला शामिल है जो संकल्पनात्मक समझ और उच्च-स्तरीय चिंतन कौशल का आकलन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

9. प्रमुख चरण मूल्यांकन: सीआईएससीई ने 2025 में ग्रेड III, V, और VIII के लिए प्रमुख चरण मूल्यांकन शुरू किए ताकि महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदुओं पर सीखने की प्रगति की निगरानी की जा सके और केवल योगात्मक मूल्यांकन से निर्माणात्मक और नैदानिक मूल्यांकन पर जोर स्थानांतरित किया जा सके। ये मूल्यांकन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एसई 2023), प्रारंभिक चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस 2022), और सीआईएससीई पाठ्यक्रम के अनुरूप विभिन्न क्षमताओं में छात्रों का आकलन करते हैं।

10. स्वास्थ्य और कल्याण: छात्रों के समग्र विकास और शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, सीआईएससीई ने एक्टिव सीआईएससीई पहल शुरू की है। यह कार्यक्रम खेल और शारीरिक शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम में एकीकृत करता है और छात्रों के बीच सक्रिय और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित फिटनेस मूल्यांकन अनिवार्य करता है।

11. खेल और परीक्षा लचीलापन: सीआईएससीई ने प्रतिभाशाली खेल छात्रों की पहचान और पोषण के लिए तंत्र शुरू किए हैं। इसके अलावा, खेल और खेलकूद में लगे छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा की

खिड़की में लचीलापन प्रदान किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे बिना किसी समझौते के प्रतिस्पर्धी गतिविधियों और शैक्षणिक मूल्यांकन दोनों में भाग ले सकें।

12. मानक निर्धारण और प्रत्यायन: गुणवत्ता स्व-नियमन के लिए एनईपी 2020 के अधिदेश के अनुरूप, सीआईएससीई ने मानक निर्धारण और प्रत्यायन के लिए एक ढांचा शुरू किया है। इसमें स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और आश्वासन (एसक्यूएए) ढांचे का कार्यान्वयन शामिल है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी संबद्ध स्कूल शैक्षिक उत्कृष्टता, स्कूल अवसंरचना, मानव संसाधन और व्यावसायिक विकास, छात्र कल्याण, हितधारक संतुष्टि और शासन में न्यूनतम मानदंडों को पूरा करते हैं।

13. समग्र और गतिविधि-आधारित शिक्षण: सीआईएससीई गतिविधि-आधारित शिक्षण और कला और खेल को पाठ्यक्रम में एकीकृत करके छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देता है। बोर्ड वाद-विवाद, रचनात्मक लेखन, प्रश्नोत्तरी और ओलंपियाड के साथ-साथ इंटर-रोबोटिक्स चैंपियनशिप जैसे आयोजनों का आयोजन करता है, जो शैक्षिक विकास के साथ-साथ रचनात्मकता, समालोचनात्मक चिंतन और समग्र व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देते हैं।

****